

७.७. XVIII

अधिवक्ता गण इत्या-
प्रतिवादी सं० २ सं० ४
फोटो लक्ष्मी हेतु तलवाना-
समूह न प्रस्तुत करने
हेतु दि० १-२-XVIII,
दि० ७-४-XVIII को
विदत्तनामों दिनांक
७-७-XVIII एवं १२-७-XVIII
को दिखायत करने पर
श्री वादी अधिवक्ता
इस तलवाना-समूह न
प्रस्तुत नहीं किये गये.
उसी प्रावली अदम
तकसील में नस्तीफ
की जातु है. प्रावली
कायदा के तहत के अर्थ
में कस की जातु
मिषय की सूचि में
शामिल है.


(सौरभ स्वामी)